होता है, अत: जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षी संख्या 1 को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबंद किया जाता है कि वो तहसील खण्डा के मौजा लदराम की बेरी तहसील खण्डा के मौजा खसरा संख्या 653/348 की पूर्वी माह पर रेकर्ड मे सिवल रास्ता खसरा संख्या 648/346 मे से रकबा 01.04 बीघा पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। स्थगन अस्कॉम अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जाता है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 08/04/21 को पेश हो।

15/03/21 पत्रावली पेश हुई। राजकीय पैरोकार के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थी को सूचना व नोटिस जारी होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18/03/21 को पेश हो।

18/03/2021 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप.। विप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार उप.। विप्रार्थी सं. उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 CPC का पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है पत्रावली वास्ते अग्रीम कार्यवाही हेतु पत्रावली आईन्दा दिनांक 01/04/2021 को पेश हो।

01/04/21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप.। विप्रार्थी की ओर से राजकीय पैरोकार रतनाराम चौधरी उप. हुए। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 CPC के तहत वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थी वकील को सुना गया। विप्रार्थी राजकीय पैरोकार उक्त प्रार्थना का जवाब देना नही चाहते है सीधी बहस करना चाहते है। प्रार्थी वकील ने बहस मे कहा कि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खेत खसरा नम्बर 653/348 की पूर्वी मांढ का रास्ता भारतमाला सड़क के कारण उद्देश्यहीन व गौण हो गया है यह पूर्वी मांढ का रास्ता भी प्रार्थी के वलिदान की खातेदारी का रकबा था तथा खसरा नम्बर 653/348 की पश्चिमी मांढ का रकबा जहा भारतमाला सड़क बनी है वादी की खातेदारी का है प्रार्थी तथा प्रार्थी के वलिदान को किसी भी रास्ते की भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया। प्रार्थी ने आपत्ति की जिस पर तत्कालीन अधिकारियों ने वादी को आश्वासन दिया कि भारतमाला सड़क बनने पर प्रार्थी की पूर्वी मांढ का खसरा नम्बर 649/346 का रास्ता उद्देश्यहीन हो जावेगा व प्रार्थी की खातेदारी से लगता रकबा प्रार्थी को मिल जावेगा। इसलिये न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेश दिनांक 23/02/21 को वाद के निर्णय तक तावाद कन्फर्म किया जावें।

विप्रार्थी राजकीय पैरोकार ने जबाब मे कथन कहा कि प्रार्थी ने मनगढ़त तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है जबकि वास्तव मे भारतमाला सड़क से प्रार्थी की भूमि किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि भारतमाला सड़क का निर्माण पूर्व से ही PWD की चल रही है सड़क पर निर्माण किया गया है जो भारतमाला की सड़क पहले से ही PWD के नाम से राजस्व रेकर्ड दर्ज थी तथा प्रार्थी की भूमि पक्का सेटलमेंट के समय के अनुसार ही आज भी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा उसी अनुसार प्रार्थी का कब्जा काबिज है इसलिये प्रार्थी ने वाद में झूठे व मनगढ़त तथ्य अंकित किये है जिसमें प्रार्थी को किसी प्रकार की सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भारतमाला सड़क से प्रार्थी की भूमि किसी प्रकार से प्रभावी हुई नहीं है तो प्रार्थी को खसरा नम्बर 649/346 की भूमि देने का आश्वासन देना सरासर झूठा व मनगढ़त है ऐसा किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया है तथा खसरा नम्बर 649/346 रकबा 06.14 बीघा पगडंडिया व रास्ते के रूप मे राज्य सरकार के नाम से दर्ज है जो बन्दोबस्त सेटलमेंट से नियमित रूप से रास्ते के रूप मे दर्ज है तथा उक्त भूमि वर्तमान मे रास्ते के उपयोग मे आ रही है प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि को हड़प करने की नियत से रास्ते पर कांटे आदि डालकर बाड़ बनाकर व मौके पर मकान आदि बनाकर रास्ते को बंद कर दिया जिसकी शिकायत ग्रामीणो द्वारा करने पर हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध 91 LRAct के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसील मे पेश किया गया जो प्रकरण विचाराधीन है धारा 91 LR Act की कार्यवाही के संस्थित होने के बाद प्रार्थी ने रास्ते की भूमि को हड़पने की नियत से व अपने विरुद्ध कार्यवाही से बचने के लिये झूठे व मनगढ़त तथ्यो पर आवेदन पेश किया है जिस कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है बल्कि प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि पर अवरोध पैदा करने से आम जनता को भारी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है साथ ही उक्त रास्ते की भूमि की कभी भी प्रार्थी के पक्ष मे गिरदावरी नही हुई है तथा खसरा नम्बर 649/346 बन्दोबस्त सेटलमेंट से लगातार पगडंडिया व रास्ते के रूप मे दर्ज होता आ रहा है जिस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पास मे नही है। प्रार्थी द्वारा झूठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को अंधेरे मे रखते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 23.02.2021 को प्राप्त किया है उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश व मूल प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।
	Sd/- सहायक कलक्टर SDO मेड़ता

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(अप्रार्थी राजकीय पैरोकार द्वारा इस सम्बन्ध में साक्ष्य दस्तावेज पेश किये जिसके द्वारा अवगत कराया कि श्रीमान के द्वारा दिनांक 15.08.2020 को मौके पर आकर अतिक्रमण मुक्त करवाया जाकर मौके पर रास्ता खुलवाया गया था। तथा दिनांक 22/12/20 को मौके की स्थिति की मौका फर्द तैयार की गई। इसलिये मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

अत: प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगढत एवं झुठे तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जाता है।

(अप्रार्थी राजकीय पैरोकार ने इस न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस मे कथन किया कि मौजा रुदराम की बेरी तहसील सेड़वा में स्थित प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 653/348 के पूर्वी सेढे पर स्थित रास्ता खसरा नम्बर 649/346 मे प्रार्थी की माढ का समपशी रकबा 01.05 को अपनी खातेदारी में घोषित करने का एक वाद पेश किया है क्योंकि वादी की इसी अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 653/348 की पश्चिमी माढ पर भारतमाला सड़क का निर्माण हो गया है व पूर्वी माढ का रास्ता खसरा नम्बर 649/346 इस भारतमाला सड़क मे विलिन हो गया है तथा भारतमाला सड़क से प्रार्थी की खातेदारी का रकबा 03.13 बीघा प्रभावित हुआ है वादग्रस्त आराजी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी/कलेक्टर SDO सेड़वा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मौजा सदवाम की बेरी तहसील सेड़वा में स्थित प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 653/348 के पूर्वी सेढ़ पर स्थित रास्ता खसरा नम्बर 649/346 में प्रार्थी की माढ का समपत्ती रकबा 01.04 को अपनी खातेदारी में घोषित करने का वाद पेश किया है क्योंकि वादी की उसी अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 653/348 की पश्चिमी माढ पर भारतमाला का निर्माण हो गया है व पूर्वी माढ का रास्ता खसरा नम्बर 649/346 उस भारतमाला सड़क में विलिन हो गया है तथा भारतमाला सड़क से प्रार्थी की खातेदारी का रकबा 03.13 बीघा प्रभावित हुआ है। विप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन बावजूद विप्रार्थी को बेदखल करने के लिए आमदा है ऐसी स्थिति मे मौके की सही स्थिति को अभिलेख पर लाने के लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सक्षम व्यक्ति को मौके की सही स्थिति अभिलेख पर लेने हेतु आयुक्त नियुक्त किया जाकर आयुक्त की मौके की सही स्थिति प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान करावें। विप्रार्थी राजकीय पैरोकार का जवाब मे कथन है कि भारतमाला सड़क से प्रार्थी की भूमि किसी प्रकार से प्रभावी नही हुई है न तो प्रार्थी को खसरा नम्बर 649/346 की भूमि देने का आश्वासन देना सरासर झूठ व मनगढत है ऐसा किसी प्रकार का कोई आश्वासन नही दिया है। तथा खसरा नम्बर 649/346 रकबा 06.14 बीघा पगडडिया व रास्ते के रूप में राज्य सरकार के नाम दर्ज है जो वक्त सेन्टलमैंट से नियमित रूप से रास्ते के रूप मे दर्ज है तथा उक्त भूमि वर्तमान मे रास्ते के उपयोग मे आ रही है।

सहायक कलक्टर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
वकील उभयपक्षगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया समस्त दस्तावेजो के अवलोकन से प्रतीत होता है खसरा नम्बर 649/346 वक्त सेटलमेंट से लगातार पगडंडिया व रास्ते के रूप मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिसे पूर्व मे न्यायालय के आदेशो द्वारा खुलवाया गया था। उससे किसी आमजन को कोई क्षति नहीं हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निराधार व मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है पूर्व में उस न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेश दिनांक 23/02/21 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है। पगडंडिया व रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 649/346 पगडंडिया व रास्ते के रूप में दर्ज होने से प्रार्थी द्वारा बंद किये गये रास्ते को खुलवाया जावे। जिस सम्बन्ध में तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर मुलवाद के संलग्न हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर SDO सेड़वा	